

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कॉलेज शिक्षा विभाग में व्याख्याता (सहायक आचार्य) के पद पर चयनित होने पर निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

क्रसं	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राजमावि / राबाउमावि)	विषय	जन्म तिथि	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	अनुपमा गोदारा, राजमावि भंवरिया, कोटा	इतिहास	11.01. 1981	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1(23-06) RPSC/Appt/ HRD/ 2017/08/ दिनांक 15.11.2018

विभाग छोड़ने के पश्चात जिनका परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उनका वर्तमान धारित पद पर लियन नहीं रहेगा। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिका को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें। यदि कार्मिक निर्वाचन कार्य में नियुक्त है तो संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे।

(निथमल डिशेक)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:— शिविरा—मा/संस्था/सी—२/इति—वाणि/एनओसी/2018 दिनांक :— १९/११/१८

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. उप शासन सचिव—प्रथम शिक्षा (ग्रुप—२) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा०—१/॥)
5. संबंधित संस्था प्रधान, को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि इनकी कार्यमुक्ति की सूचना शाला दर्पण पर दर्ज करें।
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एवी/संस्थापन सी—२ (ओएसी प्रभाग)
8. सिर्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर